न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 160/2024(GCMS : 2024/241)

1. **श्री मांगीलाल** पुत्र स्व. श्री भारूराम
2. **श्रीमती गोमती देवी** पत्नी स्व. श्री भारूराम
3. **श्री हेतराम पुत्र** स्व. श्री भारूराम
   निवासीगण पदमपुरा (6 एसएलडी) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. **कैलाश** पुत्री स्व. श्री भारूराम पत्नी श्री जयप्रकाश निवासी चक 1 डी बी एन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **संदीप काकड़, उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़**
2. **जिन्नी** बेवा कुरड़ा राम (मृतक)
   2/1 **बनवारी देवी** पुत्री कुरड़ा राम
   2/2 **श्रीमती कल्लु देवी** पुत्री कुरड़ा राम
   2/3 **श्री राम** पुत्र श्री कुरड़ा राम
   2/4 **लालचंद** पुत्र श्री कुरड़ा राम
   निवासीगण वार्ड नम्बर 8, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. **दलीप** पुत्र श्री हसना (मृतक)
   3/1 **रूकमा देवी** पत्नी दलीप निवासी वार्ड नम्बर 19, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

04.08.2025

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जितिन्द्र सरपाल ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए एक्ट विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2020 (पुरानीसंख्या 68/2008) अनवानी भारूराम (मृतक) आदि बनाम जीनी (मृतक) में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2020 (पुरानी संख्या 68/2008) अनवानी भारूराम (मृतक) आदि बनाम जीनी (मृतक) अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए एक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। अतः प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:55 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर